



## REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई-4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29,  
गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)

दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2025/2360

दिनांक: जुलाई 21, 2025

<b>लिस्टिंग विभाग,</b> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	<b>कॉर्पोरेट संबंध विभाग,</b> बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
<b>स्क्रिप कोड-RECLTD</b>	<b>स्क्रिप कोड-532955</b>
<b>Listing Department,</b> National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	<b>Corporate Relationship Department,</b> BSE Limited 1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
<b>Scrip Code-RECLTD</b>	<b>Scrip Code-532955</b>

### विषय: बोर्ड बैठक की सूचना.

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 29 के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") के निदेशक मंडल की बैठक **गुरुवार, 24 जुलाई, 2025** को निम्नलिखित के साथ-साथ आयोजित की जाएगी:

- 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के असंबद्ध वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) पर विचार करना एवं उन्हें अनुमोदित करना।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, पर विचार करना एवं घोषित करना।

इसके अलावा, कंपनी की "नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता" के अनुसार, और जैसा कि हमारे 27 जून, 2025 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है, 1 जुलाई, 2025 से 26 जुलाई, 2025 तक आरईसी के इक्विटी शेयरों और अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी और 27 जुलाई, 2025 से ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। उक्त बंद अवधि के दौरान, सभी नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे आरईसी के इक्विटी शेयरों/अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार न करें।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

Jyoti  
Shubhra  
Amitabh

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)

कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

**क्षेत्रीय कार्यालय :** बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

**राज्य कार्यालय :** वडोदरा, वाराणसी

**प्रशिक्षण केंद्र :** आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद